फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - सरकार बनाम वेद प्रकाश

किस्म मुकदमा :- 212, 212(2) RTA प्रकरण सं. 204/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07/10/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट 25.7.22 को मय टी.आर.ओ. निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/237

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम वेदप्रकाश

किस्म मुकदमा:– 212 व 212 (2) आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:– 204 / 2022

GCMS :- 2022/237

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता की भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 2071 में खसरा संख्या 326 की 5.892 हैक्टर, 330 / 5.806, 574 / 322 की 0.025, 576 / 322 की 0.101, 747 / 325 की 0.380 हैक्टर में से 0.340 हैक्टर बारानी भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उपर्युक्त वर्णित भूमि 0.340 हैक्टर पर आवासीय मकान बनाकर गैर कृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। जो कि भूमि को नुकसाने पहुंचाने की परिभाषा में आता है। इससे भूमि नाकाबिल काश्त हो गई है। अप्रार्थीगण द्वारा धारा–177 आर0टी0ए0 की शर्तो का उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने विधिक दायित्वों का उल्लघंन एवं अवहेलना करते हुए बिना स्वीकृति कृषि भूमि की प्रकृति का परिवर्तन किया है। जिससे राज्य पक्ष को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अप्रार्थी का कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने का कोई हक नही है। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी को निर्माण करने से रोकने पर अप्रार्थी ने कहा कि यह अप्रार्थी की खातेदारी भूमि जिस पर निर्माण करने का अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर धार 177 आर0टी0ए0 के निर्णय तक जैरवाद रकबा रिसीवर किया जावें। वकील अप्रार्थी–01 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा गलत व मिथ्या कथनों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र बिना जांच किये प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित खसरा संख्या 326 की 5.892 हैक्टर भूमि इस खाता में नही है बल्कि खसरा संख्या 325 की 5.892 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के कब्जा की 0.340 हैक्टर भूमि के संबंध में कोई vetter Particuler प्रस्तुत नही किया है कि अमुक 0.340 हैक्टर भूमि कौनसे खसरा में अवस्थित है। इस खाता में प्रार्थी की खसरा संख्या 325 / 2 की 0.886 हैक्टर भूमि यानि 95480 वर्गफीट भूमि आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपातंरित करवाई हुई तथा इस संबंध में नगरपालिका सूरतगढ़ के पत्रांक नपसू / कृषि / 2007 / 8638 दिनांक 02.02.2007 व कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर का पत्रांक वीकेजेड / 2522 / 10 / सूरतगढ़ / 728 दिनांक 09.03.2007 से ले–आउट प्लान अनुमोदित है। अप्रार्थी ने किसी भी कृषि भूमि पर गैर कृषक प्रयोजनार्थ कोई कार्य नही किया है। अपितु अपनी आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि पर ही निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरित भूमि किया गया कोई कृत्य अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हानिकारक नही है। प्रार्थी ने दुर्भावनापूर्वक ही यह प्रार्थना पत्र अभिलेख का अवलोकन किये बिना प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी उल्लेख नही किया है कि जैरप्रकरण 0.340 हैक्टर भूमि कौनसे खसरा से संबंधित है। उक्त संयुक्त खाता में 67 सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि अभिकथित 0.340 हैक्टर भूमि किस खसरा से संबंधित है व किस व्यक्ति के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी की खसरा संख्या 325 / 2 की 0.886 हैक्टर भूमि रूपान्तरित भूमि है तथा उसका इन्तकाल संख्या 306 नगरपालिका के नाम दर्ज है। इस भूमि के संबंध में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है तथा अप्रार्थी [illegible] चिहित शुल्क नगरपालिका सूरतगढ़ में जमा करवाया हुआ है। अप्रा[illegible] अप[illegible]रूपान्तरित भूमि पर ही आंशिक निर्माण किया है तथा [illegible] अप्रार्थी के [illegible] 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत [illegible] प्रार्थी [illegible]के कोई आधार नही है। अप्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण नही बनता है। अप्र[illegible] की खसरा संख्या 325 / 2 में शेष लगभग 0.540 हैक्टर भूमि ओर है जो कृषि भूमि दर्ज है तथा इस भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य नही किया जा रहा है तथा ना ही गैर कृषि उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2024.10.08 17:04:47 IST

Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2024	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी द्वारा अन्य काश्तकारों को पक्षकार संयोजित नही किया है तथा ना ही यह स्पष्ट किया है कि संयुक्त खाता में किसी पासा में या कौनसे खसरा में प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग लिया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त खाता में नगरपालिका से भूमि रूपान्तरित भी करवाई हुई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के जवाब के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के विरोध में प्रति शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि पर गैर कृषि कार्य किया है। मात्र कथन से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नही होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं दिनांक 25.07.2022 को जारी स्थगन आदेश (टी0आई0) निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:47 IST
Reason: SelfAttested